

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

पत्रांक.....114.....

दिनांक..02/06/2019

प्रेषक,

नगर आयुक्त,

मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....उमिदा कृष्ण.....

पिता/पति.....28-08-1981.....

ग्राम/मोहल्ला.....अ.एम.पुर.....

थाना.....अ.एम.पुर.....मुजफ्फरपुर।

विषय : प्लान केस सं०-02-05/19 2019 भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति ।

महाशय,

आपका भवन निर्माण का नक्शा मोहल्ला अ.एम.पुर.....

वार्ड सं०-07 सर्वे प्लॉट नं० 434.....मुजफ्फरपुर की स्वीकृति बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-419 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-314, 315, 316, एवं 317 के अन्तर्गत दी जाती है । स्वीकृत नक्शा की प्रतियाँ संलग्न है ।

यह आदेश स्वीकृति की तिथि से अगले तीन वर्षों तक वैध है । इस बीच आपको मकान का निर्माण पूरा कर आर्किटेक्ट/अभियंता के माध्यम से निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र देना है । ऐसा नहीं करने पर दण्ड के भागी होंगे ।

2/6/19
नगर आयुक्त

मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

16/05/19

20/5/19